सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2018/18 दर्ज तिथि:– 02.07.2018

1. मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम जाति निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू

................प्रार्थीगण

बनाम

1. अंकित पुत्र महेन्द्र जात जाट निवासी ग्रम सहनाली छोटी तहसील व जिला चूमरू राजस्थान नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती मंजू पत्नी महेन्द्र
2. अनुष्का पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसील व लिजा चूरू नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती मंजू पत्नी महेन्द्र
3. चावली देवी पत्नी प्रमाराम जाति जाट निवासी ग्रम सहनाली छोटी तहसील व लिजा चूरू
4. भगवानाराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू
5. भागीरथ पुत्र प्रमाराम जाति जाट निवासी ग्रम सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू राजस्थान
6. मंजू पतनी महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू
7. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक रतननगर तहसील व जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू राज.

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:– सुरेन्द्र बुडानिया
अप्रार्थी :– 1,2,5,6 धन्नाराम सैनी

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि प्रार्थी की ओर से उपरोक्त अनुवानी दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।
2. यहकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 01 ता 06 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खससरा नम्बर 68 तादादी 0.9485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 तादादी 6.6393 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 7.5878 हैक्अेयर वाके रोही सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है। मुताबिक जमाबंदन्दी संवत 2071 से 2074 उक्त कृषि भूमि के कुल हिस्से 7.5878 हैक्टेयर में प्रार्थी 1/5 हिस्सा स्थित चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण सं. 01 ता 06 का जमाबंदी 2071–2074 में अंकितानुसार प्रत्येक का हिस्सा अंकित चला आ रहा है, जो मुलाहिजा हेतु जमाबंदी संलग्न दावा की जा रही है।
3. यह कि उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 का वादगत कृषि भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि अविभजित चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 का बाहमी रूप से ब[illegible]का है और उसके मुताबिक सभी ने अपने अपने हिस्से की भूमि प[illegible] कब्जा काश्त करते चले आ रहे है और प्रार्थी अपने हिस्से की कृ[illegible] एवं तारबंदी कर रखी है परन्तु हिस्साकसी को लेकर तथा सीमाकन को लेकर [illegible]कारों में विवाद रहता है [illegible]विष्य में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:50 IST
Reason: SelfAttested

विवाद बढने का अन्देशा है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक गया है कि वो अपने 1/5 हिस्सा हिस्सै की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग से खाता कायम करवा लेंवे प्रार्थी के हिस्से की भूमि संलग्न नक्शा में लालरंग से दर्शायी हुई है।

4. यह कि प्रार्थी शान्ति प्रिया व्यक्ति है जो अपने कब्जे व हिस्से की भूमिपर काबिज चला आ रहा है और अपने हिस्से की भूमि को शानित को शान्तीपूर्ण तरीके से कब्जे में रखना चाहता है।। प्रार्थी ने सहखातेदार अप्रार्थीगण को काफी बार कहा एवं कहलवाया कि वो साथ चलकर अपने–अपने हिस्से का सहमति से विभाजन करवा लेंवे। परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की बात की कोई परवाह नहीं की और आखिरकार दिनांक 19.06.2018 कसे यहमति से विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया। जब तक खाता विभाजन करवाकर अलग खाता कायम करवाये। खाता विभाजन ना हो जावे तब तक अप्रार्थीगण के वि इस आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा हासिल करे कि अप्रार्थीगण वादगत अविभाजित कृषि भूमि को रहन बेय मुंतकिल नही करे ना विक्रय करे ना ही प्रार्थी के कब्जा एवं काश्त में किसी तरह की बाधा डाले न डलवाये। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है तथा अपने हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष है।

अतःप्रार्थना–पत्र मंय शेपक –पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि– खसरा नम्बर 68 तादादी 0.485 हैक्टैयर वाके रोही सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू में से अपने 1/5 हिस्से में से बेदखल नहीं करे या करावे ना ही उसे खुर्द–बुर्द कर रहन, व्यय या विक्रय, हस्तान्तरण करे तथा ना ही ऐसा कार्य या उपकार्य करे जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, 02 05, 06 की ओर से अधिवक्ता धन्नाराम सैनी ने उपस्थिति दी तथा अप्रार्थी संख्या 03, 04 पर विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से इनका जवाब बंद किया गया। तथा अधिवकता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न शपथ–पत्र, पत्रावली के अवलोकन एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर निम्न आदेश पारित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं तथा वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 0.9485 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 78 रकबा 6.6393 हैक्टेयर, कुल रकबा 7.5878 हैक्टेयर, रोही सहनाली छोटी, तहसील व जिला चूरू में स्थित है। जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के अनुसार प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा अंकित चला आ रहा है, जो अभिलेखों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि का विधिवत राजस्व विभाजन अभी तक नहीं हुआ है तथा भूमि अविभाजित स्थिति में है। यद्यपि पक्षकारों के मध्य आपसी समझ से कब्जा विभाजन किया गया है और प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर चारदीवारी/बाड़बंदी कर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है, तथापि सीमांकन एवं हिस्साकसी को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 05 एवं 06 की ओर से [illegible] द्वारा उपस्थिति दी गई, किन्तु उनके द्वारा कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया [illegible] 03 एवं 04 विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, जिन [illegible] कार्यवाही की गई। बार–बार अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से अप्रार्थीगण का जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:50 IST
Reason: SelfAttested

बन्द किया गया। प्रार्थी के कथनों, दस्तावेजों एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थापित होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, तथा यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र स्वकार किये जाने योग्य है।

आदेश है कि

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का जारी किया जाता है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक, वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 0.9485 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 78 रकबा 6.6393 हैक्टेयर, रोही सहनाली छोटी, तहसील व जिला चूरू के मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 04.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:50 IST
Reason: SelfAttested